

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रतिभूति धन (Caution Money) वापिस देने हेतु

## आवेदन-पत्र

भाग-अ

- विद्यार्थी का नाम
- पिता का नाम
- अध्ययनशाला का नाम
- अध्ययन सत्र
- प्रतिभूति धन की राशि
- प्रतिभूति धन जमा करने की रसीद क्र. व दिनांक
- क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त किया
- पता जिस पर प्रतिभूति धन वापिस भेजा जाना है

दिनांक.....

हस्ताक्षर विद्यार्थी

भाग-ब

प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री ----- पर

- प्रयोगशाला का कुछ देय नहीं है

प्रयोगशाला इंचार्ज

2. अध्ययनशाला के पुस्तकालय की कोई पुस्तक शेष नहीं है

पुस्तकालय इंचार्ज (अध्ययनशाला)

3. क्रीड़ा सम्बन्धी कोई वस्तु शेष नहीं है

क्रीड़ा इंचार्ज

4. केन्द्रीय पुस्तकालय की कोई पुस्तक शेष नहीं है

विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

## प्रशासनिक कार्यवाही

भाग - स

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-अ पर उल्लेखित कथन सत्य है। कु. / श्री -----

पर भाग -ब में उल्लेखित वस्तु के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है। उनके प्रतिभूति धन में से रूपये ..... काटकर शेष रूपये .....  
उन्हें लौटाने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष सम्बन्धित अध्ययनशाला

विभागाध्यक्ष की उक्त अनुशंसा पर कु. / श्री -----

की प्रतिभूति धन के ₹..... लौटायें जायें।

इंचार्ज

अधीक्षक

उपकुलसचिव/विभागाध्यक्ष

कुलसचिव

क्रमांक .....

दिनांक .....

लेखा विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक (प्रशासन)